अनुदान संख्या 63 - विधि और न्याय
GRANT No. 63–LAW AND JUSTICE

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	493,98,00	594,00,00	376,26,07	–217,73,93
पूरक	Supplementary	100,02,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				216,58,19
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		1,02,00	13	–1,01,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				98,11

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (21773.93 लाख रु.) अगस्त, 2005 और दिसंबर, 2005 में प्राप्त किए गए 10002.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 37 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.21773.93 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.10002.00 lakhs obtained in August, 2005 and December, 2005 and constituted 37 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2014'' न्याय प्रशासन	Major Head "2014" Administration of Justice				
मू.	O.	21395.00			
पू.	S.	10001.00	12136.50	12133.06	–3.44
पु.	R.	–19259.50			
मुख्य शीर्ष "2020'' आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण	Major Head "2020" Collection of Taxes on Income and Expenditure				
मू.	O.	3354.00	2341.00	2310.75	–30.25
पु.	R.	–1013.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	2200.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–2200.00			
मुख्य शीर्ष "3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-Aid to State Governments				
मू.	O.	395.00	1120.00	1120.00	. .
पु.	R.	725.00			

(I) 21720.50 लाख रु. का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 21618.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2014'' - "अन्य व्यय - जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण'' - 19200.00 लाख रु. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से प्रस्ताव प्राप्त न होने और साथ ही ई-समिति की सिफारिशें प्रस्तुत किए जाने के समीक्षाधीन होने से न्यायपालिका के कंप्यूटरीकरण की स्कीम के कारण भी थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2020'' - "निदेशन और प्रशासन - राष्ट्रीय कर अधिकरण'' - 218.00 लाख रु. अधिकरण के अस्तित्व में न आने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष "2552'' - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के विकास से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान'' - 2200.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर

(I) Provision of Rs.21720.50 lakhs remained wholly unutilised under seven heads; of these Rs.21618.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2014"-"Other Expenditure – Computerisation of District and Subordinate Courts" – Rs.19200.00 lakhs – due to non-receipt of proposal from the National Informatics Centre and also on account of scheme of computerisation of Judiciary being under review pursuant to submission of recommendations of the e-Committee.

(B) Major Head "2020" – "Direction and Administration – National Tax Tribunal" - Rs.218.00 lakhs – due to the Tribunal not coming into existence.

(C) Major Head "2552"- "Other Expenditure– Provision for Projects/Schemes for the development of North Eastern Region including Sikkim" – Rs.2200.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to the functional

उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''2020'' - ''निदेशन और प्रशासन - आयकर अपीलीय अधिकरण'' के अंतर्गत 825.25 लाख रु. की बचत (3136.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अतिरिक्त खंडपीठों के लिए रिक्त पदों के न भरे जाने और साथ ही अधिकरण द्वारा सरकारी आवास किराए पर दिए जाने के कारण हुई।

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत 155.00 लाख रु. की बचतें हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 50 प्रतिशत और 68 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (116.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष ''2014'' - ''अन्य व्यय - अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र'' के अंतर्गत 10001.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 115.00 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - न्याय प्रशासन - अन्य अनुदान - न्यायपालिका के संबंध में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए अनुदान'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 790.00 लाख रु. का अधिक व्यय (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, 101.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''4070'' - ''अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय'' के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2020" – "Direction and Administration – Income Tax Appellate Tribunal" – saving of Rs.825.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3136.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts for the additional benches and hiring of Government accommodation by the Tribunal.

(III) Under two heads savings of Rs.155.00 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 50 percent and 68 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.116.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.10001.00 lakhs under Major Head "2014" - "Other Expenditure - International Centre for Alternative Dispute Resolution (ICADR)" - Actual excess, however, was Rs.115.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Administration of Justice - Other Grants - Grant for Infrastructural Facilities for Judiciary" - excess of Rs.790.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the capital section of the grant, provision of Rs.101.00 lakhs remained wholly unutilised in two cases under Major Head "4070" - "Capital Outlay on Other Administrative Services".